पत्रांक–3/स्था0रा0भू0 (विविध)–18/2025– 511 (3)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार ।

पटना–15, दिनांक– 06/03/2026

विषय :– **Social Media में अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा सरकार के नीति विरोधी वक्तव्य प्रसारित करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मचारी को बिहार सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली, 1976 के नियम–10 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्न प्रकर से उद्धरित है :–

सरकार की आलोचना । – कोई सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम से या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख में या समाचार पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सावर्जनिक कथन में कोई ऐसा तथ्य या विचार व्यक्त न करेंगे।

(i) जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नई नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो या, ...

परंतु इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक के किसी ऐसे वक्तव्य या विचार पर लागू न होगी, जिसे उसने अपनी पदीय हैसियत से या अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन में दिया या व्यक्त किया हो।

2. इसी नियमावली के नियम–9 में समाचार पत्रों या रेडियो से संबंध सरकार के पूर्व मंजूरी के बिना नहीं रखने का भी स्पष्ट निदेश है।

3. गत दो माह से माननीय उप मुख्यमंत्रीजी के "भूमि सुधार जन कल्याण संवाद" जो दिनांक–12.12.2025 से लगातार प्रमण्डलीय मुख्यालय जिलों में आयोजित की गई है, के संबंध में कतिपय राजस्व प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी (सरकारी सेवक) द्वारा Social Media/Media में प्रतिकूल आलोचना की गई है, जो स्पष्टतः सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है।

4. सरकारी सेवक द्वारा सरकार के किसी नीति के विरूद्ध Social Media में रीलें विभिन्न प्लेटफॉर्मो पर जारी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है, ऐसा भी करना सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल माना जाएगा। सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक (Professional) जीवन के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना चाहिए। सोशल मीडिया (Social Media) में इस प्रकार के Post/Reel अस्वीकारणीय है।

5. राजस्व प्रशासन के जुड़े कर्मियों का जन कल्याण संवाद के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करना अनुशासनहीनता का द्योतक है एवं ऐसी गतिविधियों में शामिल होना आचार नियमावली के विरूद्ध माना जाएगा।

अतः उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए एवं सरकार के स्थापित नियमों के अधीन आचरण करते हुए कर्त्तव्य एवं कृत की अपेक्षा की जाती है।

विश्वासभाजन,

06/03/2026

(सी0के0 अनिल)
प्रधान सचिव

\\Section1\Kaushal\REV-2025_SEC-1\Niranjan SO_25\Sec-1\Draft_25_Niranjan.doc